(क) बलास्कार-अपराधों तथा आर्थिक कठिनाईयों के कारण पढ़ी-लिखी लड़कियों ढारा कॉल-गर्ल का पेशा अपनाने के संबंध में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ढार<sup>1</sup> कीन-कोन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक शहरों तथा गांवों में वेश्या-वृत्ति का घंधा चल रहा है और यह कि महिलाओं को बलपूर्वक वेश्या बनाने के लिए मजबूर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठा रही है तया इसे समाप्त करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे है;

(भ) क्या कतिपय समुदायों में माता-पिता परम्परागत रीति से अपनी बेटियों को वेक्या बनने की अनुभति देते हैं और पूरा परिवार उसकी आय पर निर्भर करता है, जैसा कि गुजरात और राजस्थान के कुछ गावों में यह प्रचलित है, और

(ङ) क्या सरकार इस प्रया को समाप्त करने हेतु किसी विशेष योजना के भाध्यम से कोई विश्वेष प्रयास कर रही है, यदि हां, तो उनका क्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला ओर बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेस्वरी) : (क) से (ग) महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों, जिनमें बलान्संग और बेम्यावृत्ति भी शामिल है, के संबंध

में मारतीय दण्ड संहिता, 1860, अपराध प्रक्रिया संहिला, 1973 तथा भारतीय साध्य अधिनियम, 1872 के उपवंधों सहित अनेक विधान हैं। समाज में वेश्याधृति को रोकने के लिए 1956 में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को और अधिक कड़ा और कारगर बनाने के लिए इसमें 1978 और 1986 में संशोधन किए गए। यह अधिनियम, महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, बिक्री और अवैध बन्दोकरण के खिलाफ बनाए गए स्याई नियमों का पुरक है। इन विधानों के कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/ संध राज्य प्रशासनों का है। उन्हें समय-समय पर कहा गया है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों का कारगर कार्यान्वयन सुतिश्चित किया आए।

भारत सरकार ने महिलाओं के दर्जे में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं और किगोर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन उपायों में जागृति विकास, प्रशिक्षण, बचत, ऋण सुविधाएं तथा अन्य रोजगार उत्पादक कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) और (इट) सूचनाएक व की जारही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## महिलाओं का बेद-पाठ संबंधी अधिकार

3385. श्रीमती उमिला खिमनआई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्तय्य की जानकारी है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने महिलाओं को वेद-पाठ के अधिकारों से वंचित करने के संबंध में कुछ पत्नों में हाल ही में टिप्पणी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? 209 Wrtittn Answers

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती धासव राजेस्वरी) : (क) जी, हां। इसप्रकारकी समाचार रिपोर्ट सरकारकी जानकारी में आई हैं।

(ख) सरकार इस प्रकार के तथाकथित बयानों का समर्थन नहीं करती तथा इनका विरोध करती है। अन्य उपायों के साथ-साथ सरकार की यह नीति है कि कार्य तथा समर्थन की पढति से जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सलम बाजा, सनर्थन सेवाएं उपलब्ध कराना, जागृनि विकास, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को सचेत करना तथा निर्णय लेने में महिलाओं को भूभिका को बढ़ावा देना है, राशाज में महिलाओं तथा धालिकाओं दोनों की सकारा-रमक छवि प्रस्तुत करके दृष्टिकोणात्मक परिवर्तन लाए जाएं।

## गांवों में विद्यालयों का खोला जाना

3386. श्रीमती र्डीमला चिम्नतमाई पटेल क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 4 मार्च, (994 को राज्य सभा में अतारांक्ति प्रश्न संख्ता 1644 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कुपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी गांवों में एक किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर विद्यालय न होने के क्या कारण है;

(क्ष) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, बर्तमान बजट में कोई प्रावधान किए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान कितने गांवों में, विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तथा उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ण) क्या सरकार ने प्रथम कक्षा से स<sub>ा</sub>तवीं कक्षा तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान क हेतुकोई योजना बनाई है; और

95-M/J(N) 19 RSS-14

(ङ) यदि हा, तो उक्त योजना को कब शक कार्यान्यित किए जाने की संभावना है?

to Questions

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ) शिक्षा और संस्कृति विभाग ) में उपमंत्री (कुमारी शैक्षजा);

(क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ वनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और वे ही किसी बस्ती अथवा कम से कम एक किलोमीटर दुरी के भीतर स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मानदण्डों के अनुसार जहां कहीं भी जरूरत होती है, प्राथमिक स्कूल - अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अपनी वार्षिक आवश्यकताएं तैयार करती हैं तया राज्य योजनाओं में तत्संबंधी प्रावधान करती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान **तथा** प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कराए गए पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1986) के अनुसार 94.5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भोतर प्राथभिक स्कूल की सुविधा है। शेष जनसंख्या के लिए निम्नलिखित कारणों जिनमें छात्नों को अपयष्ति संख्या, अथवा अपर्याप्त भोतिक सुविधाओं, दुर्भम अथवा दुर-दराज आदि जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध न कराई जा सकी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह सिफारिश की गई है कि ऐसे क्षेत्रों को अनौपचारिक शिक्षा, स्वैच्छिक स्कूलों, शिक्षा कमीं जादि जैसी वैकल्पिक योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया जाए।

(घ) और (ड) पूरे देश में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

## महिलाओं पर अत्याचार

3387. श्रीमती उमिला चिमन भाई पटेस : क्या सानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :